

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत मुकाम

श्री १०० सुधार बनाम श्री १०० सुधार

किश्म मुकदमा १४ RTA नं. 108 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

5-18	<p>वादी श्री कल्याण चंद्र व वारी (वधु लक्ष्मी, उत्तरीवारी शाह) व. 1 का प. नं. केस कोरपुरा के लक्षण उपस्थित कारर वाद पत्र मय शकीनाम, पत्र स्थिति की वाद तदरीक शामिल पत्रावली स्थिति गया। जति व. 5 के दिन सुलभित उभरते हुए। उभर पत्र का सुन गया कि-होने कथन कि कि एकरा होउ करालत सी मानक के शकीनाम हो गया ई कोड बिबाद शक उची ई मुताबिक शकीनाम वाद-पत्र डिक्ली स्थिति कारर। एकरे द्वारा पत्रावली का कबलाकत स्थिति गया। वादी व उत्तरीवारी शाह एव ही परिवार के सदस्य हैं तथा विराटन कारावी का मुताबिक शकीनाम जद्वर कर रहे हैं किन्तु कोड बिरोध एकरे कत गची ई कतः वादी का वाद-पत्र मुताबिक शकीनाम होउ करालत सी मानक के डिक्ली स्थिति कारर वाद उभर कारावी -पत्र 18 AG के शमान व. 53141 सी कुल 2.834 ईस्टर स्थिति कति के वारी एव उत्तरीवारी व. 1 के नदिल्या बराबर जल्ले के $\frac{1}{2}$ हिस्सा का बगतेदार काररकार देकहित स्थिति जाला ई उभर। सुधार शपलव रिकार्ड के कंकन स्थिति कारर। एक परिप्लग का पंजीकन एकाउ उधरी शामिल इवरात सी पाने। पत्र डिक्ली मुताबिक शकीनाम वादी सी पाने उभर किन्तु का शकीनाम</p>	<p>हुक्म श्री १०० सुधार श्री १०० सुधार श्री १०० सुधार श्री १०० सुधार श्री १०० सुधार</p>
------	---	--

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
	<p>हुग रहेगा । पचावकी फेदला शुभा वर कारिल दपुर सी लार्क । कोदेश शुभा जग । (aw) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़</p> <p>सत्यमेव जयते</p> <p>Web Copy - Not Official</p>

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म को
में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान भोमपुरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह (RAS)

कृष्ण कुमार पुत्र भादरराम जाति चमार निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

—वादी

बनाम

- 1-भादर ~~सिंह~~ पुत्र भीया जाति चमार निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-सरस्वती पुत्री भादर पत्नी महेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ
- 3-समेस्ता पुत्री भादर पत्नी कृष्ण जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ
- 4-सुखमनी पुत्री भादर पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी सोलडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नम्बर :- 108/2018

निर्णय दिनाक :- 2.5.18

वादी की ओर से श्री राजकुमार कल्ला की व प्रतिवादी की ओर से श्री श्री सुशील प्रियाराम की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 2.5.18 को श्री सुरेन्द्र सिंह (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री सुरेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री की जाती है कि :-

1-चक 18 ए जी के खाता संख्या 53/41 की कुल 2.834 है0 संयुक्त परिवार की जददी जायदाद होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 2.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी गई।

(GL)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
हनुमानगढ